

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी - मार्च, 1999 सत्र

किन्निक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 3 फरवरी, 1999 (माघ 14, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञा

(1) जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञा नहीं किया है, के शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान पहुँच करेंगे।

(2) संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसारण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट और भारतीय समुदाय की शीर्षकी जून लौटी गयी लेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगी और सभा में अपना स्थान पहुँच करेंगी।

2. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) प्रोफेसर डॉ. एम. चाण्डी, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल
- (2) श्री चन्द्रशेखर मलिकार्जुन नामानी, कर्नाटक विधान सभा के उपाध्यक्ष
- (3) श्री जी. जी. स्वेत, लोक सभा के पूर्व उपाध्यक्ष
- (4) श्री हरिनाथ मिश्र, बिहार विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष
- (5) श्री दशरथ देव, जिपुरा के पूर्व संसद्य मंत्री
- (6) श्री लतित विजय सिंह, पूर्व केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री
- (7) डॉ. रमेश अदवाल, एकादश विधान सभा हेतु निर्वाचित सदस्य
- (8) ठा. शिवकुमार सिंह, एकादश विधान सभा हेतु निर्वाचित सदस्य
- (9) श्री तात्त्वजी पटेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (10) श्री रामचन्द्र सर्वट, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (11) श्री लोकेन्द्र सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (12) श्री रामधनी मिश्र, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (13) श्री धामोदर तुलसीराम पाटिल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (14) श्री सुन्दर लाल जायसवाल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (15) श्री कर्स्तुरबन्द लौधरी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (16) श्री कुमाराल पवार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (17) मामा जानेश्वर दयाल, भूतपूर्व संसद सदस्य
- (18) श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य
- (19) श्री वैयनाथ मिश्र "जाबा नागार्जुन", सुप्रसिद्ध साहित्यकार
- (20) विडित रामचन्द्र नारायण ढिवेली, सुप्रसिद्ध कवि
- (21) श्री बरसीलाल सेठिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
- (22) कैलाश मान सरोवर की यात्रा के दौरान मृत व्यक्ति
- (23) सीहीर के निकट कार व ट्रक की टक्कर में मृत व्यक्ति
- (24) धार जिले के निकट कारम नदी में धारी बस गिरने से मृत व्यक्ति
- (25) पंजाब में खज्जा रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों की भिंडल में मृत व्यक्ति
- (26) भोपाल के निकट ट्रक एवं मिनी बस की भिंडल में मृत व्यक्ति
- (27) केरल में पहाड़ी छटाने वाले घसकरे से मृत व्यक्ति.

3. प्रश्नोत्तर

प्रधकरण किलित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर किये जाएंगे।

4. अध्यायेश का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिगार्हिकी-आधु) तृतीय संशोधन अध्यायेश, 1998 (क्रमांक 4 सम् 1998) पटल पर रखेंगे।

5. राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदत्त विदेशकों की सूचना

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) लर्डश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, ईश्वरवास शेहारी, बाबूलाल मेवरा, सदस्य, उघोपुर जिले के दुधई पुल के पास स्थान उकैतो द्वारा 6 युवकों के अपहरण की घटना वी और यह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री मुंशीलाल, मुजा सिंह भवैश्या, सदस्य, चंबल संभाग के कुषकों को चंबल नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

7. राज्यपाल के अधिभाषण पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1999 की प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा-

"राज्यपाल ने जो अधिभाषण किया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में सम्मत सदस्याण अत्यन्त अनुज है।"

भोपाल :

दिनांक : 2 फरवरी, 1999

के.पी. तिवारी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा